बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

चतुर्थ तल, सोन भवन, वीर चंद पटेल मार्ग (आर० ब्लॉक), पटना– 800 001

मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठयक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजनान्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए **NET, GATE, JRF (CSIR), Ph.D, M.Phill** आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं में चयनित होने के लिए परीक्षा पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण (कोचिंग) संबंधी दिशा–निर्देशः–

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के दिशा निर्देशन में संचालित पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए **NET, GATE, JRF (CSIR), Ph.D, M.Phill** आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं में चयनित होने के लिए परीक्षा पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण (कोचिंग) हेतु राज्य में कुल छः (6) विश्वविद्यालयों में मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठयक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द्र **(CARRIER GUIDANCE CENTRE)** क्रमशः 1. पटना विश्वविद्यालय, पटना 2. पाटलीपुत्रा विश्वविद्यालय, पटना 3. तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर 4. ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा 5. डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर 6. भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा में **NET, GATE, JRF (CSIR), Ph.D, M.Phill** आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं में चयनित होने के लिए परीक्षा पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण (कोचिंग) हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं।

सीटों की संख्या :–

क्र० सं०	व्यवसायिक पाठयक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द्र का नाम	सीटों की संख्या		
		पिछड़ा वर्ग	अति पिछड़ा वर्ग	कुल सीट
1	पटना विश्वविद्यालय, पटना	24	36	60
2	पाटलीपुत्रा विश्वविद्यालय, पटना	24	36	60
3	तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर	24	36	60
4	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	24	36	60
5	डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	24	36	60
6	भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	24	36	60
	कुल सीटों की संख्या			360

नियम एवं शर्तें:–

1. प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में 60–60 छात्र/छात्राओं के एक बैच (प्रशिक्षण अवधि 06 माह) संचालित कराये जायेंगे।
2. प्रत्येक केन्द्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कुल उपलब्ध सीटों में से 40 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग तथा 60 प्रतिशत अति पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए अनुमान्य होंगे। अति पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं की अनुपलब्धता की स्थिति में पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं की अनुपलब्धता की स्थिति में अति पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं का नामांकन किया जायेगा। दोनों कोटियों में छात्राओं के लिए 33 प्रतिशत छैतिज आरक्षण अनुमान्य है।
3. आवेदकों को संबंधित कोर्स के अंतर्गत होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप विषय के बहु–विकल्पीय लिखित परीक्षा/ **Counselling** के माध्यम से चयन किया जायेगा।
4. कोर्स का चयन संबंधित केन्द्र निदेशक द्वारा किया जायेगा।
5. केन्द्रों में छात्रावास की व्यवस्था नहीं है।

छात्र/छात्रा की पात्रताः–

1. छात्र/छात्रा बिहार राज्य के स्थायी निवासी हों।
2. पिछड़ा वर्ग अथवा अति पिछड़ा वर्ग के सदस्य हों।
3. छात्र/छात्रा अथवा उनके अभिभावक की अधिकतम वार्षिक अद्यतन आय सभी स्रोतों को मिलाकर रू0–3,00,000/– तक होनी चाहिए।
4. छात्र/छात्रा की आयु सीमा एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित कोर्स के अंतर्गत होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता के अनुरूप होनी चाहिए।

आवेदन कैसे करें:–

1. विहित प्रपत्र में पूर्ण आवेदन–पत्र https://state.bihar.gov.in/bcebcwelfare/CitizenHome.html से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन संबंधित निदेशक, व्यवसायिक पाठयक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द्र **(CARRIER GUIDANCE CENTRE)** को निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से समर्पित किया जाना है। अभ्यार्थी स्वयं भी संबंधित केन्द्र के कार्यालय में हाथो–हाथ आवेदन पत्र समर्पित कर सकते हैं।

2. आवेदन–पत्र केवल एक ही केन्द्र के लिए अनुमान्य होगें।

व्यवसायिक पाठयक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द्र (CARRIER GUIDANCE CENTRE) नाम व पते :–

1. निदेशक, व्यवसायिक पाठयक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द्र, पी०एम०आई०आर० विभाग, दरभंगा हाउस, पटना विश्वविद्यालय, पटना – 800 005 **(मोबाईल सं०–9473030170)**
2. निदेशक, व्यवसायिक पाठयक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द्र, कौटिल्य भवन, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्टस एण्ड साईंस, पाटलीपुत्र विश्वविद्यलाय, पटना – 800 020 **(मोबाईल सं०–7992482978)**
3. निदेशक, व्यवसायिक पाठयक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द, स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर – 812007 **(मोबाईल सं०–9537675123)**
4. निदेशक, व्यवसायिक पाठयक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द, स्नातकोत्तर इतिहास विभाग, सी०एम० कॉलेज, दरभंगा– 846004 **(मोबाईल सं०–9162206097)**
5. निदेशक, व्यवसायिक पाठयक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर – 8420001 **(मोबाईल सं०–9334905619)**
6. निदेशक, व्यवसायिक पाठयक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द, पुरानी स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा– 852113 **(मोबाईल सं०–9934629245)**

आवेदन–पत्र समर्पित करने की अंतिम तिथिः–28/02/2023

अधिक जानकारी के लिये विभागीय वेबसाईट **https://state.bihar.gov.in/bcebcwelfare/CitizenHome.html** पर लॉगइन करें। जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, : 1. पटना, 2. भागलपुर 3. मुजफ्फरपुर, 4. दरभंगा, 5. मधेपुरा से सम्पर्क भी किया जा सकता है।

प्रबंध निदेशक।